मौलिक अधिकार

सामान्य परिभाषाः

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यकता न हो, "राज्य" Government में भारत सरकार और संसद शामिल है और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत के सभी राज्यों और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों की सरकार और विधानमंडल शामिल हैं। भारत सरकार।

मौलिक अधिकार के साथ या अपमानित करने वाले कानून:

(१) भारत के राज्य क्षेत्र में सभी कानून तुरंत पहले लागू होते हैं

इस संविधान का प्रारंभ, अब तक वे असंगत हैं

इस भाग के प्रावधानों के साथ, इस तरह की सीमा तक असंगतता, शून्य हो।

- (२) राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन करता हो या निरस्त करता हो और इस खंड के उल्लंघन में बना कोई भी कानून, <mark>उल्लंघन की</mark> सीमा तक, शून्य हो।
- (३) इस लेख में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (ए) "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदे<mark>श, उपनिय</mark>म, नियम, <mark>विनियमन, शा</mark>मिल हैं।
- भारत के क्षेत्र में अधिसूचना, रिवाज या उपयोग कानून का बल;
- (ख) "कानून लागू" में इस संविधान के प्रारंभ हो<mark>ने से पहले भारत के</mark> क्षेत्र में एक विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाए गए कानून शामिल हैं और पहले से निरस्त नहीं हैं, इस बात के बावजूद कि ऐसा कोई कानून या उसका कोई हिस्सा तब नहीं हो सकता है। ऑपरेशन या तो सभी या विशेष क्षेत्रों में।
- 1 [(४) इस लेख में कुछ भी इस राइट टू इक्वालिटी के <mark>किसी</mark> भी संशोधन पर लागू नहीं होगा।

कानून के समक्ष समानता।

राज्य कानून या के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता से इनकार नहीं करेगा भारत के क्षेत्र के भीतर कानुनों का समान संरक्षण।

धर्म, जाति, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध या जन्म स्थान।

- (१) राज्य केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
- (२) कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर, किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा -
- (ए) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच मनोरंजन; या
- (बी) कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों का उपयोग पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य कोष से बाहर रखा गया या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित है।
- (३) इस लेख में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगा।
- (४) इस लेख में या अनुच्छेद २ ९ के खंड (२) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के लिए किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।

सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।

- (१) मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित।
- (२) कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर, राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अयोग्य नहीं होगा, या उसके साथ भेदभाव करेगा।
- 1 इं। संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971, द्वारा। 2।
- 2 संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951, द्वारा जोड़ा गया। 2।
- (३) इस लेख में कुछ भी संसद को किसी कानून <mark>या किसी</mark> वर्ग को रोजगार देने या किसी कार्यालय में नियुक्ति देने के संबंध में कानून बनाने से नहीं रोकेगा [१, सरकार, या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन, इस तरह के रोजगार या नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास करने की आवश्यकता है।
- (४) इस लेख में कुछ भी राज्य को कोई भी बनाने से नहीं रोकेगा

किसी के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान

नागरिकों का पिछड़ा वर्ग, जो राज्य की राय में नहीं है

राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया।

2 [(४ ए) इस लेख में कुछ भी राज्य को कोई भी <mark>बनाने</mark> से <mark>नहीं रोकेगा</mark>

आरक्षण 3 के लिए प्रावधान [पदोन्नति के मामलों <mark>में, परिणामी</mark> वरिष्ठता के साथ, किसी भी वर्ग के लिए] या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के तहत सेवा<mark>ओं में पदों</mark> के वर्ग जो राज्य की राय में, पर्याप्त रूप से नहीं हैं राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व किया]।

- 4 [(4 बी) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को उस वर्ष <mark>के कि</mark>सी भी खाली रिक्तियों पर विचार करने से नहीं रोकेगा, जो उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित है, जो कि क्लॉज के तहत किए गए आरक्षण के प्रावधान के अनुसार है।
- (4) या क्लॉज (4 ए) किसी भी सफल वर्ष या वर्षों में भरे जाने वाले रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में और रिक्तियों का ऐसा वर्ग नहीं होगा वर्ष की रिक्तियों के साथ एक साथ माना जाता है जिसमें वे हैं

पचास फीसदी की सीमा निर्धारित करने के लिए भरा जा रहा है। उस वर्ष की कुल रिक्तियों पर आरक्षण।]

(५) इस लेख में कुछ भी किसी भी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा मामलों के संबंध में एक कार्यालय के अवलंबी प्रदान करता है कोई भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था या किसी भी सदस्य उसके शरीर पर शासन करने वाला व्यक्ति किसी विशेष धर्म को मानने वाला या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन। - "अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसकी किसी भी रूप में अभ्यास करना मना है। किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन " अस्पृश्यता " से बाहर निकलना एक अपराध होगा कानून के अनुसार।

उपाधियों का उन्मूलन।

- (१) कोई उपाधि, सैन्य या शैक्षणिक भेद नहीं होना चाहिए राज्य द्वारा प्रदत्त।
- (२) भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य के किसी भी शीर्षक को स्वीकार नहीं करेगा।
- (३) कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, जबकि वह राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई भी कार्यालय रखता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी शीर्षक स्वीकार नहीं करता है।
- (४) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति की सहमित के बिना, किसी भी विदेशी राज्य के अधीन या किसी भी प्रकार के किसी भी वर्तमान, परित्याग, या कार्यालय को स्वीकार करें।

स्वतंत्रता पर अधिकार

बोलने की स्वतंत्रता, आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण।

- (१) सभी नागरिकों को अधिकार होगा-
- (ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए;
- (बी) मोर को इकट्ठा करने और हथियारों के बिना;
- (ग) संघों या यूनियनों के गठन के लिए;
- (घ) पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए;
- 1 सब्सक्रिप्शन। संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, द्वारा। 29 और पहली अनुसूची या किसी स्थानीय या में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के तहत, इसके क्षेत्र के भीतर निवास के रूप में किसी भी आवश्यकता के अन्य अधिकार उस राज्य के भीतर "।
- 2 इन्स। संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995, द्वारा। <mark>3 सदस्यता। संविधान (अ</mark>स्सी-पाँचवाँ संशोधन) अधिनियम, 2001, द्वारा। 2 (w.e.f. 17-6-1995)। 4 इन्स। <mark>संविधान (अ</mark>स्सी-प्रथम <mark>संशोधन) अधि</mark>नियम, 2000 द्वारा। 2 (w.e.f.9-6-2000)। (ide) भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने के लिए; 1 (और) 2 * * * * *
- (छ) किसी पेशे का अभ्यास करने के लिए, या किसी व्यवसाय, व्यापार या करने के लिए व्यापार। 3 [(2) उपखंड (क) के खंड (1) में कुछ नहीं के संचालन को प्रभावित करेगा कोई भी मौजूदा कानून, या राज्य को कोई भी कानून बनाने से रोकता है, जहां तक इस तरह का कानून अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है 4 [संप्रभुता और के हितों में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त भारत की अखंडता,] राज्य की सुरक्षा, विदेशी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध राज्यों, सार्वजिनक आदेश, शालीनता या नैतिकता, या अवमानना के संबंध में अदालत, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना।
- (३) उक्त खंड के उप-खंड (ख) में कुछ भी संचालन को प्रभावित नहीं करेगा किसी भी मौजूदा कानून में अभी तक यह लागू है, या राज्य को रोकना है 4 [संप्रभुता] के हितों में और किसी भी कानून को लागू करना भारत की अखंडता या] सार्वजनिक व्यवस्था, व्यायाम पर उचित प्रतिबंध उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार।
- (४) उक्त खण्ड के उप-खंड (ग) में कुछ भी संचालन को प्रभावित नहीं करेगा किसी भी मौजूदा कानून में अभी तक यह लागू है, या राज्य को रोकना है 4 [संप्रभुता] के हितों में और किसी भी कानून को लागू करना भारत की अखंडता या। सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता, पर उचित प्रतिबंध उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग।
- (५) उक्त खंड के ५ [उप-खंडों (डी) और (ई)] में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा किसी भी मौजूदा कानून का संचालन, जहां तक यह राज्य को लागू या रोकना है किसी भी कानून को लागू करने से, के अभ्यास पर उचित प्रतिबंध उक्त उपखंडों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी या तो हित में है आम जनता के लिए या किसी के हितों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति।
- (६) उक्त खंड के उप-खंड (छ) में कुछ भी संचालन को प्रभावित नहीं करेगा किसी भी मौजूदा कानून में अभी तक यह लागू है, या राज्य को रोकना है आम जनता के हितों में कोई कानून लागू करना, उक्त द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध उपखंड, और, विशेष रूप से, 6 [उक्त उप-खंड में कुछ भी नहीं होगा किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित करना जहां तक यह संबंधित है, या राज्य को इससे संबंधित कोई कानून बनाने से रोकता है, -

- (i) अभ्यास के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता किसी भी पेशे या व्यवसाय, या व्यवसाय, या
- (ii) राज्य द्वारा, या स्वामित्व वाली या नियंत्रित निगम द्वारा ले जाना राज्य द्वारा, किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा के लिए, चाहे नागरिकों का अन्यथा पूर्ण या आंशिक बहिष्करण।

अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण।

- (1) अधिनियम के कमीशन के समय किसी कानून के उल्लंघन के अलावा किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अपराध, न ही उस से अधिक दंड के अधीन हो सकता है जो अपराध के कमीशन के समय कानून के तहत लागू किया गया हो सकता है।
- (२) किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए मुकद<mark>मा नहीं</mark> चलाया जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा एक से ज्यादा बार।
- (३) किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या <mark>व्यक्तिगत स्वतंत्रता से</mark> वंचित नहीं रहेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।

- 1 इं संविधान (चालीसवां संशोधन) अधि<mark>नियम, 19</mark>78, द्वारा। 2 (w.e.f. 20-6-1979)
- २ एस-क्लॉज (एफ) एस द्वारा छोड़ा गया। २. आ<mark>ईबिड</mark>। (w.e.<mark>f. 20-6-1979</mark>)।
- 3 सदस्यता। संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनिय<mark>म, 195</mark>1, <mark>द्वारा। 3, सी</mark>एल के लिए। (2) (पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ)।
- 4 इन्स। संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963, द्वारा। 2।
- ५ सब्सक्रिप्शन। संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978, द्वारा। २, "उप-खंड (डी), (ई) और (1)" (w.e.f. 20-6-1679) के लिए।
- 6 सब्सक्रिप्शन। संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, <mark>195</mark>1, द्वारा। ३, के लिए कुछ शब्द।
- 1 [21 ए। शिक्षा का अधिकार। राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्रदान करेगा ऐसे में छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा राज्य के अनुसार, कानून द्वारा, निर्धारित किया जा सकता है।

गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण।

- (1) गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, जैसे ही सूचित किया जाएगा, ऐसी गिरफ्तारी के लिए आधार हो सकता है और न ही उसे परामर्श देने के अधिकार से वंचित किया जाएगा, और कानूनी चिकित्सक द्वारा बचाव किया जाएगा। उसकी पसंद का।
- (२) हिरासत में लिए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी से चौबीस घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट की अदालत में गिरफ्तारी का स्थान और मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना ऐसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
- (3) खंड (1) और (2) में कुछ भी लागू नहीं होगा-
- (ए) किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक समय के लिए दुश्मन है; या
- (ख) निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को।
- (४) निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाला कोई कानून जब तक कि तीन महीने से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा-
- (ए) एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो हैं, या नियुक्त किए गए हैं या नियुक्त किए जाने योग्य हैं, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने तीन महीने की उक्त अविध की समाप्ति से पहले रिपोर्ट की है कि इसकी राय में पर्याप्त कारण है इस

तरह की नजरबंदी: बशर्ते कि इस उप-खंड में कुछ भी खंड (7) के उप-खंड (बी) के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि से परे किसी भी व्यक्ति की नजरबंदी को अधिकृत नहीं करेगा; या

- (बी) ऐसे व्यक्ति को उपखंड (ए) और (बी) के उपखंड (।) के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जाता है।
- (५) जब किसी व्यक्ति को किसी आदेश के तहत हिरासत में लिया जाता है निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाला कोई भी कानून, प्राधिकरण बना रहा है आदेश, जैसे ही हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को आधार से संवाद करें जिस पर आदेश दिया गया है और उसे जल्द से जल्द वहन करेगा आदेश के खिलाफ एक प्रतिनिधित्व बनाने का अवसर।
- (६) खंड (५) में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे प्राधिकरण को आवश्यकता हो जैसा कि तथ्यों का खुलासा करने के लिए उस खंड में आदेश दिया गया है अधिकार को सार्वजनिक हित के विरुद्ध माना जाता है।
- (7) संसद कानून द्वारा लिख सकती है-
- (ए) के तहत परिस्थितियों, और मामलों के वर्ग या वर्गों में जो, एक व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है किसी भी कानून के तहत निवारक निरोध के लिए प्रदान किए बिना उपवाक्य (क) के उपबंधों (4) के प्रावधानों के अनुसार एक सलाहकार बोर्ड की राय;
- (b) वह अधिकतम अविध जिसके लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग या वर्गों में हो सकता है निवारक हिरासत के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिए जाने वाले मामलों की; तथा
- (ग) के तहत एक जांच में सलाहकार बोर्ड <mark>द्वारा पाल</mark>न की जाने वाली प्रक्रिया उपखंड (क) खंड (४)।

सही तरीके से जांच

मानव में यातायात का निषेध और मजबूर श्रम।

- (1) मानव और भिखारियों की तस्करी और इसी तरह के अन्य रूपों मजबूर श्रम निषिद्ध हैं और इस प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं होगा कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होना।
- (२) इस लेख में कुछ भी राज्य को थोपने से नहीं <mark>रोक सकेगा सार्व</mark>जनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, और ऐसी सेवा को लागू करने में राज्य केवल धर्म के आधार पर कोई भेद<mark>भाव नहीं क</mark>रेगा, दौड़, जाति या वर्ग या उनमें से कोई भी।
- 1 संविधान (अस्सी-छठा संशोधन) अधिनियम, 200<mark>2, के द्वारा</mark>। 2 (w.e.f. अधिसूचित होने की तिथि)
- 2 के प्रवर्तन पर। संविधान का ३ (चालीसवां) संशोध<mark>न) अधिनियम,</mark> 1978, कला। 22 एस के निर्देशानुसार संशोधित किया जाएगा।
- 3 का वह अधिनियम। के पाठ के लिए। उस अधिनिय<mark>म के</mark> 3, परिशिष्ट III देखें।

कारखानों, आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा कारखाना या मेरा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगा हुआ। सही धर्म की स्वतंत्रता के लिए

अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा, अभ्यास और धर्म का प्रचार।

- (१) सार्वजिनक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से हकदार हैं।
- (२) इस लेख में कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा-
- (ए) किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मिनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ा हो सकता है;
- (ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए प्रदान करना या हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए एक सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलना।

स्पष्टीकरण।.- किर्पंस पहनने और ले जाने को सिख धर्म के पेशे में शामिल माना जाएगा।

स्पष्टीकरण ॥। - खंड (2) के उप-खंड (बी) में, हिंडुशेल के संदर्भ को सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों और हिंदू धार्मिक के संदर्भ के रूप में शामिल किया गया है

संस्थानों को उसी के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। - सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, हर धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के अधीन। का अधिकार है-

- (ए) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव;
- (बी) धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए;
- (ग) चल और अचल संपत्ति के मालिक होने और हासिल करने के लिए; तथा
- (घ) कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करना।

किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता।

किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिनमें से आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्चीं के भुगतान में विशेष रूप से विनियोजित हैं।

कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता।

- (1) किसी भी शैक्षिक में कोई धार्मिक निर्देश न<mark>हीं दिया जाएगा</mark> संस्था पूरी तरह से राज्य निधियों से बाहर है।
- (२) खंड (१) में कुछ भी एक शैक्षणिक सं<mark>स्थान पर ला</mark>गू नहीं <mark>होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित हो</mark> लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया हो जिसके लिए ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
- (३) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी <mark>शैक्षणिक</mark> संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य कोष से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जो इस तरह की संस्था में लगाया जा सकता है या किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए हो सकता है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ किसी भी परिसर में, जब तक कि ऐसा व्यक्ति नाबालिग न हो, उसके अभिभावक ने अपनी सहमति दे दी है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।

- (१) भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी हिस्से या उसके किसी हिस्से का एक अलग हिस्सा है भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति को उसी के संरक्षण का अधिकार होगा।
- (२) किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा अनुरक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा केवल धर्म, जाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य कोष से सहायता प्राप्त करना।

अल्पसंख्यकों को शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का अधिकार संस्थानों।

- (१) सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 1 [(1 ए) किसी भी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून में, खंड (1) में निर्दिष्ट, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के कानून के तहत निर्धारित या निर्धारित राशि इस तरह के अधिग्रहण के लिए संपत्ति ऐसी है जो उस खंड के तहत सही गारंटी को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगी।
- (2) राज्य शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में, किसी भी शिक्षण संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा: हिन्दी। 2 * * *
- 31. [संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण।] संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा निरसन। 6 (w.e.f. 20-6-1979)। 3 [कुछ कानूनों की बचत] 4 [31A। सम्पदा के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की बचत, आदि- 5 [(1) अनुच्छेद 13 में कुछ भी शामिल नहीं है, इसके लिए कोई कानून उपलब्ध नहीं है
- (ए) किसी भी संपत्ति या उसके किसी भी अधिकार के राज्य द्वारा अधिग्रहण या ऐसे किसी भी अधिकार का शमन या संशोधन, या

- (ख) राज्य द्वारा किसी भी संपत्ति के प्रबंधन को एक सीमित अविध के लिए सार्वजनिक हित में या संपत्ति के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए, या (ग) दो का समामेलन लेना।
- अधिक निगमों या तो सार्वजनिक हित में या निगमों में से किसी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए, या
- (घ) प्रबंध एजेंटों, सिचवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों या निगमों के प्रबंधकों, या शेयरधारकों के किसी भी मतदान अधिकार के किसी भी अधिकार का शमन या संशोधन, या किसी भी समझौते, पट्टे या लाइसेंस के आधार पर किसी भी अधिकार की तलाश या जीत, या किसी खिनज या खिनज तेल, या समय से पहले समाप्ति के द्वारा अर्जित किसी भी अधिकार का शमन या संशोधन। इस तरह के किसी भी समझौते, पट्टे या लाइसेंस को रद्द करना, इस आधार पर शून्य माना जाएगा कि यह असंगत है, या 6 [अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19:] द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को भी हटा या हटा देता है। बशर्ते कि ऐसा कानून राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून हो, इस अनुच्छेद के प्रावधान तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसा कानून, राष्ट्रपित के विचार के लिए आरिक्षत नहीं हो गया हो,

उसका आश्वासनः

7 [आगे प्रदान किया गया है, जहां कोई भी कानून किसी भी संपत्ति के राज्य द्वारा अधिग्रहण के लिए कोई प्रावधान करता है और जहां किसी भी भूमि में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत खेती के तहत कब्जा कर लिया जाता है, तो राज्य के लिए इस तरह के किसी भी हिस्से का अधिग्रहण करना कानूनी नहीं होगा। भूमि जब तक लागू न हो, तब तक किसी भी कानून के तहत या किसी भी इमारत या संरचना में उसके लिए लागू होने वाली सीलिंग सीमा के भीतर या आश्रितों के लिए भूमि, जब तक कि ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अधिग्रहण से संबंधित कानून मुआवजे के भुगतान के लिए प्रदान नहीं करता है। ऐसी दर पर जो उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी।

- (२) इस लेख में, -
- 8 [(ए) अभिव्यक्ति ((संपत्ति "in, किसी भी स्था<mark>नीय क्षेत्र के संबंध में</mark>, उस अभिव्यक्ति के समान अर्थ या उसके स्थानीय समकक्ष मौजूदा कानून में उस क्षेत्र में जमीन के कार्यकाल से संबंधित है और यह भी होगा शामिल-
- 1 इं। संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 19<mark>78, द्वारा। 4</mark> (w.e.f. 20-6-1979)।
- 2 उप-शीर्षक "संपत्ति का अधिकार" एस द्वारा छोड़ा <mark>गया। 5,</mark> ibid। (w.e.f. 20-6-1979)।
- 3 इन्स। संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 197<mark>6 द्वा</mark>रा, एस। 3 (w.e.fl 3-1-1977)।
- 4 इन्स। संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951, द्वारा। 4 (पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ)।
- ५ सब्सक्रिप्शन। संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955, द्वारा। क्लॉज के लिए 3 (1) (पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ)।
- ६ सब्सक्रिप्शन। संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७८, द्वारा। ७, लेख १४ के लिए,
- "लेख 19 या लेख 31" (w.e.f. 20-6-1979)।
- 7 इं। संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1964 द्वारा, एस 2.
- 8 सदस्यता। संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम द्वारा। 2, उप-खंड के लिए (ए) (पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ)।
- (i) कोई भी जागीर, इनाम या मुफी या अन्य समान अनुदान और 1 [तिमलनाडु] और केरल के राज्यों में, कोई भी जनम अधिकार;
- (ii) रैयतवारी बंदोबस्त के अधीन कोई भूमि;
- (iii) किसी भी भूमि को कृषि के उद्देश्यों के लिए या कृषि योग्य भूमि, वन भूमि, चारागाह के लिए भूमि या इमारतों और भूमि के किसानों द्वारा कब्जा की गई संरचनाओं सहित अन्य प्रयोजनों के लिए,

खेतिहर मजदूर और गाँव के कारीगर;

- (बी) अभिव्यक्ति "" अधिकार in,, एक संपत्ति के संबंध में, एक प्रोप्राइटर, उप-प्रोपराइटर, अंडर-प्रोप्राइटर, टेन्योरहोल्डर, 2 [रैयत, अंडर-रैयत] या अन्य मध्यस्थ और किसी भी अधिकार में निहित किसी भी अधिकार को शामिल करेगा। या
- भू-राजस्व के संबंध में विशेषाधिकार। 3 [31B। कुछ अधिनियमों और विनियमों की वैधता। अनुच्छेद 31 ए में निहित प्रावधानों की व्यापकता के बिना, नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से कोई भी और न ही उन प्रावधानों में से कोई भी

शून्य माना जाएगा, या कभी भी हो जाएगा। शून्य, इस तरह के अधिनियम, विनियमन या प्रावधान के साथ असंगत है, या इस भाग के किसी भी प्रावधान, और किसी भी निर्णय, या किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के विपरीत किसी भी निर्णय के बावजूद, हटा या ले जाता है या इसके विपरीत है। उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक, इसे निरस्त या संशोधित करने के लिए किसी भी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन होगा। 4 [31C। कुछ निर्देशों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत। -

अनुच्छेद 13 में कुछ भी शामिल नहीं होने के बावजूद, 5 [भाग IV में निर्धारित सभी [या सिद्धांतों में से कोई भी] हासिल करने की दिशा में राज्य की नीति को कोई कानून देने वाला कोई कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह असंगत है, या लेता है दूर या 6 [अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19] द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को भी समाप्त कर देता है; 7and कोई भी कानून जिसमें यह घोषणा न हो कि यह ऐसी नीति को लागू करने के लिए है, को किसी भी अदालत में इस आधार पर प्रश्न किया जाएगा कि यह ऐसी नीति को प्रभाव नहीं देता है: बशर्ते कि ऐसा कानून किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो इस अनुच्छेद के प्रावधान तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि इस तरह के कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं किया गया हो, उसे स्वीकृति प्राप्त हो गई हो। 831D1 [राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की बचत।] संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 द्वारा निरसन, s.2 (w.e.f.13-4-1978)।

कंसोर्टिकल रिडिज के लिए अधिकार इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय।

- (1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों <mark>के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च</mark> न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार की गारंटी है।
- (2) सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्देश <mark>या आ</mark>देश या रिट <mark>जारी करने की शक्ति हो</mark>गी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, मण्डामस, निषेध, क्व वारंटो और तृतीयक <mark>की प्रकृति</mark>, जिसमें भी उचित हो, शामिल हो सकते हैं। इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए।
- (३) खंड (१) और (२) के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रदत्त शक्तियों के पक्षपात के बिना, संसद किसी भी अन्य न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर <mark>या किसी भी अधि</mark>कार के तहत प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को अधिकार प्रदान कर सकती है। खंड (२) के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग करने योग्य।
- (४) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार को निलंबित <mark>नहीं किया</mark> जाएगा सिवाय अन्यथा इस संविधान द्वारा प्रदान किए गए। 1 सब्सक्रिप्शन। मद्रास राज्य द्वारा (नाम का परिवर्तन) <mark>अधि</mark>नियम। 1968 (1968 का 53) एस। ४, "मद्रास" के लिए। (w.e..fl 14-1-1969)।
- 2 इन्स। संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 द्वारा। 3 (पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ)।
- 3 इन्स। संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951, द्वारा। 5।
- ४ इन्स। संविधान (पच्चीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा। 3 (w.e..f। 20-4-1972)।
- ५ सब्सक्रिप्शन। संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा, एस। 4, "अनुच्छेद 39 के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सिद्धांत" (w.e.f. 3.1.1977) के लिए। धारा 4 को मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1980) के सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया है। 2, S.C.C। 591।
- 6 सब्सक्रिप्शन। संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978, द्वारा। 8, "लेख 14, लेख 19 या लेख 31" (w.e.f. 20-6-1979) के लिए।
- 7 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973, Supp I S.C.R.1 I), सर्वोच्च न्यायालय ने इटालिक्स में प्रावधानों को अमान्य माना I 8 इं। संविधान (चालीसवां संशोधन) अिधनियम, 1976 द्वारा, एस। 5 (w.e.f. 3-1-1977) I 132A I [अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा।] संविधान (चालीसवां संशोधन) अिधनियम, 1977 द्वारा s.3 (w.e.f. 13-4-1978) I 2 [33 I संसद की शक्ति इस भाग द्वारा दिए गए अिधकारों को संशोधित करने के लिए उनके आवेदन में बल, इत्यादि संसद, कानून द्वारा, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी भी सीमा तक निर्धारित कर सकती है,

इसमें आवदेन,-

- (ए) सशस्त्र बलों के सदस्य; या
- (बी) सार्वजनिक आदेश के रखरखाव के साथ आरोपित बलों के सदस्य; या
- (ग) राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्ति जो बुद्धिमत्ता या प्रतिपक्ष के उद्देश्यों के लिए है; या

(डी) नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, या दूरसंचार प्रणाली, जो किसी भी बल, ब्यूरो या संगठन के उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई है (सी) (सी) में निर्दिष्ट, प्रतिबंधित या निरस्त किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके

उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन का रख-रखाव इस हिस्से द्वारा दिए गए अधिकारों पर प्रतिबंध है, जबिक मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में लागू है। - इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, संसद कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति की निंदा कर सकती है। भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में रखरखाव या बहाली के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के संबंध में संघ या किसी राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा, जहां मार्शल लॉ लागू था या किसी भी सजा को मान्य किया गया था, सजा ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत किए गए, जब्त किए गए आदेश या अन्य कार्य।

इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विधान। -इस संविधान में कुछ भी समझ में नहीं, -

- (ए) संसद के पास होगा, और राज्य के विधानमं<mark>डल में कानून बनाने की श</mark>क्ति नहीं होगी-
- (i) अनुच्छेद 16 के खंड (3) के तहत किसी भी <mark>मामले के संबंध में</mark>, अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है; तथा
- (ii) उन कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए <mark>जिन्हें इस</mark> भाग के तहत अपराध घोषित किया गया है; और संसद, जैसे ही इस संविधान के प्रारंभ के बाद हो सकती है, उप-खण्ड (ii) में उल्लिखित कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए कानून बनाती है;
- (ख) भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले कोई भी कानून, जो खंड (क) के उप-खंड (i) में उल्लिखित किसी मामले के संबंध में है या इसके लिए सजा का प्रावधान है

उस खंड के उप-खंड (ii) में उल्लिखित कोई भी अधिनियम, शर्तों के अधीन होगा और अनुच्छेद 372 के तहत किए जाने वाले किसी भी रूपांतर और संशोधनों के अधीन, संसद द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित होने तक लागू रह सकता है।

व्याख्या। — इस लेख में, अभिव्यक्ति "कानून में बल" का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है।

- 1 इं। संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा, एस। 6 (w.e..f। 3-1-1977)।
- २ सदस्यता। संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, १९८४, द्वारा। २, कला के लिए। ३३।